AIPSN अभियान और भारतीय कृषि के 75 वर्ष

भारतीय स्वतंत्रता और कृषि के 75 वर्ष

द्वारा

डॉ सोमा मारला व सुभाष शर्मा

एआईपीएसएन, नईदिल्ली
2022

भारतीय कृषि के 75 वर्ष

कृषि में मायावी विकास ?

ब्रिटिश उपनिवेश से आज़ाद हुए 75 वर्ष गुज़र गए इस अवधि मे कृषि उत्पादन, संबध एवं विकास दोनों आयामो के कई रूप परिवर्तित होते देखे। जिनका ग्रामीण जीवन पर गहरा प्रभाव हुआ। आबादी का 65 प्रतिशत हिस्सा अभी भी गांवो मे रह रहा है। इसकी बहुसंख्या कृषि पर निर्भर है। यह समय सिहांवलोकन ;निरीक्षण परीक्षणद्ध करने का है 75 वर्षो मे किसानो का कैसे भला हुआ।

इस बदलती अर्थव्यवस्था मे, कृषि वृद्धि एवं गरीबी मे कमी सतत आर्थिक विकास की पूर्व शर्त है। कृषि हमारी खादय सुरक्षा ही सुनिश्चित नही करता बल्कि करोड़ो ग्रामीणों को आजीविका भी प्रदान करती है। विशषज्ञों का दावा है कि कृषि किसी अन्य आर्थिक क्षेत्र की तुलना मे कृषि मे निवेश करने पर, दो से तीन गुना गरीबी दूर करने पर प्रभावी हाने के साथ, एक का 12 गुना लौटाती है।

पिछली सदी के प्रारंभिक दशकों से ही किसानो ने सामाजिक परिवर्तनों व ब्रिटिश उप निवेश से आज़ादी के संघर्ष के लिए लामबंद होकर महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। स्वतंत्रता प्राप्ती के पूर्व से ही किसानो के दो मुख्य उद्देश्य रहे। सामान्ती बंधुआगीरी से मुक्ती के लिए अधिकार सम्पन्नता, गांव मे सामाजिक बराबरी व आर्थिक समृद्धि के लिए जमीन जोतने वाले को मिले। आज भी हम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी इन करिश्मायी लक्ष्यों से कितने दूर है यह महत्वपूर्ण मुद्दा है। स्वतंत्रता के तुरन्त बाद, भूस्वामित्व की, जमीदारी, रैयतबाडी व अन्य स्वामित्वों की प्रथा का उन्मूलन होना था, किन्तु जमीन पर मालिकाना हक को प्रभावी रूप से परिवर्तित नहीं किया गया, जमीन का बडा हिस्सा धनी और मध्यम किसानो के हाथ मे ही रह गया। भू स्वामित्व का एक छोटा सा हिस्सा लघु सिंमात पिछडे एवं दलित किसानो की पहुंच मे आया देश के अधिकांश भागों मे बेमन से भूमि सुधार किये गये जो देश के विभिन्न राज्यों मे असफल रहे यह समस्या अनसुलझी रही। वर्ष 2020 में 84.2 प्रतिशत किसान लघु एवं सिमांत श्रेणी मे आ गए जिनके पास दो हेक्टेयर से कम जमीन है। इस बडे हिस्से के पास कुल कृषि क्षेत्र का 47.3 प्रतिशत क्षेत्रफल है शेष किसानो के पास 52.7 प्रतिशत जमीन है जो बडे और मध्यम किसानो का छोटा सा हिस्सा हैं, जो कुल किसानो के 13.8 प्रतिशत हैं। भारत मे मिट्टी वर्षा मौसम व फसलों को उगाने मे विविधता है इस आधार पर भारत की कृषि को 13 जलवायु क्षेत्रों मे बाटा गया है सिर्फ 48.9 प्रतिशत भूमी ही सिंचित है शेष पूर्णतया वर्षा पर आधारित है सभी राज्यों मे कृषि उत्पादकता, विकासदर और किसानों की आमदनी मे भारी भिन्नता है। जिसकी सीमा 0.25 ;बिहारद्ध से 2.69 ;तामिलनाडूद्ध पूरे देश की औसत 1.69 है अभी भी ग्रामीण क्षेत्र के विकास मे भूमि की असमान मिल्कियत, उत्पादन व वितरण मे भागीदारी का बडा सवाल है जो बाधक है। बडे जोतदारो के पास सिंचायी के साधन कृषि मशीनरी भंडारण की सुविधा उपलब्ध है। भूमि सुधार, भूमि के गैर बराबरी के स्वामित्व को दूर करने का कारगर उपाय है जिन्हे केरल व पश्चिम बंगाल राज्यों को छोडकर बाकी देश मे प्रतीकात्मक ही लागू किया गया है।

सत्तर के दशक मे वामदलों के भूमि संधर्षो के फलस्वरूप जो भूमि सुधार हुए उससे ग्रामीण गरीब समुदाय दलितो व पिछडी जातियों को भूमी का केवल चार प्रतिशत से भी कम हिस्सा मिल पाया छोटे किसान के पास संसाधन नहीं होने के कारण प्रकृति और बाजार की मार झेलता है। जो छोटी जोतों के कम उत्पादक हाने का सबसे बड़ा कारण है।

आज़ादी के समय सामाजिक, आर्थिक, असमानता व पिछडी उत्पादन पद्वति के चलते खादयान्न उत्पादन देश के नागरिकों को खिलाने के लिए अपर्याप्त था। आज़ादी के प्रथम दशक मे कृषि, अन्य आर्थिक क्षेत्रों की तुलना मे उपेक्षा का शिकार रही। देश धीरे धीरे आकाल की स्थिती मे पहुंच गया। पूरा देश जहाज से आने वाले अनाज पर निर्भर था। पचास के दशक के अंतिम वर्षो मे सरकार द्वारा इस स्थिीती से उबारने के लिए निवेश बढ़ाना शुरू किया। जिससे खादयान्नों की कमी एवं भूख मिटायी जा सके। भाखड़ा नंगल व नागार्जुन बांध, उर्वरक कारखाने, ग्रामीण विद्युतीकरण शुरू किया गया। इसके तहत सिंचाई का बड़ा तंत्र खडा किया गया। खादयान्न फसलों की देशी किस्मों व देशी पशु नस्ल कम उत्पादक थीं इनसे अधिक उत्पादन देने वाली किस्मो व नस्लो के विकास की आवश्यकता थी जिनसे उत्पादन बढ़ाया जा सके इसी कड़ी मे ही आइसीएआर के अंतर्गत दर्जनो कृषि विश्वविद्यालय व अनुसंधान संस्थान यूएसए की सहायता से यूएस लेण्ड ग्राण्ट यूनिर्वसीटी माडल स्थापित किये गये। फोर्ड फाउण्डेशन आफ अमेरिका के रॉकफेलर की सलाह एवं पर्यवेक्षण मे उच्च गुणवत्ता वाले धान एवं गेहुं के बीज, फिलीपीन्स एवं मेक्सको स्थित अन्तर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थानो से आयात किये गये और उन्हे भारत के खेतो में खेती करने के लिए परिचित कराया गया। इस प्रकार साठ के दशक मे हरित क्रांति की भारत के ग्रामों मे शुरूआत हुई।

किसानों द्वारा जब ये बीज सत्र दर सत्र बोये गये परिणाम स्वरूप किसानों द्वारा संरक्षित भूमि उर्वरता का ह्रास होने लगा। यहां से अधिक उत्पादन देने वाले बीजों के लिए एक पूर्ण कृषि कार्यमाला की जरूरत पड़ी जिसमे खाद, कीटनाशक दवाइयां, ट्रेक्टर, कृषि उपकरण व डीजल आदि का उपयोग शुरू हुआ। संक्षिप्त मे फसल उत्पादन मे लगने वाला कृषि आदान का पूर्ण पेकेज बीज व कृषि रसायन उत्पादन करने वाले बहुराष्ट्रीय निगमों के नियंत्रण मे आ गया। मुख्य फसलों के बीजों को स्थानीय उत्पादन कृषि पारिस्थितीकीय (agro ecosystem) के अनुकुल बनाया गया सिंचायी, उर्वरकों की भारी मात्रा देकर फार्म मशीनरी के प्रयोग से अधिक उत्पादन प्राप्त किया गया। नये बीजो के स्थानीय स्थितियों मे प्रयोग से नये नये खरपतवार, कीड़े व बीमारियां भी आने लगी। भारत के किसानो के लिए बिलकुल नयी थीं। द्वितीय विश्व युद्ध व वियतनाम पर अमेरिकीय हमले के बाद रसायन उद्योगों का कृषि मे उपयोग किये जाने वाले रसायनो के उत्पादन मे लग जाने से इनका प्रयोग कृषि मे बढ़ने लगा। इस परिप्रेक्ष्य मे योजना बद्ध तरिके से स्थापित हरित क्रांति अमेरिकन और पश्चिमी बहुराष्ट्रीय कंपनीयों के नियंत्रण मे पड़ती चली गयी। उर्वरक, कीटनाशक व खरपतवारनाशी का उत्पादन व बाजार का, गांवों मे विस्तार होता रहा। कृषि आदान (बीज उर्वरक, कीटनाशक व खरपतवारनाशी) कृषि मशीनरी व उपकरणों का खर्चा एवं कीमतों मे भी कई गुना बढ़ोतरी हुई। बीज और कृषि रसायन बनाने, बेचने वाले बहुराष्ट्रीय निगमों की हरित क्रांती की सहायता से भारत के खादयान्न उत्पादन व ग्रामीण अर्थ व्यवस्था पर पकड गहरी जड़ें जमाती गईं।

भारत सरकार के नवउदारवादी सुधारों को 21वीं सदी के प्रथम दशक मे तेजी से अमल मे लाने के कारण बहुराष्ट्रीय निगमों ने अपने उत्पादों को लेकर कृषि एवं कृषि बाजार को जकड़ने की चुनोती खडी कर दी है। बहुराष्ट्रीय निगम पूरी कृषि को ही हथियाना चाहते हैं। इस क्षेत्र मे चार बडे बहुराष्ट्रीय निगम, **बायर–मोनसेन्टो, केमचाइना–सिंजेन्टा, डाउ–डूपोन्ट व बीएएसएफ** है जो बीज उर्वरक कीटनाशक, खरपतवार नाशक व फफूंद नाशीयों के कुल उत्पादन व व्यापार मे 70 प्रतिशत को नियंत्रित करती है।

सारणी 1. वर्ष 2015–16 मे (स्थिर कीमत) पर किसानो की श्रेणी बार आमदनी

क्र	श्रेणी	कृषक संख्या मिलियन मे	कृषक संख्या बार प्रतिशत मे	धारित रकबा प्रतिशत मे	प्रति कृषक वार्षिक आय रूपये मे	प्रति कृषक मासिक आय रूपये मे
1	सीमांत	99.86	68.53	24.15	33636	2803
2	छोटा	25.78	17.69	23.7	116196	9683

3	अर्ध मध्यम	13.76	9.44	23.65	215656	17971
4	मध्यम	5.48	3.76	19.96	435896	36320
5	बडा	0.83	0.57	9.04	1282125	106844
	योग औसत	**145.71**	**100**	**100**	**87614**	**7301**

स्रोत– कृषि सांख्यिकी, 2015–16, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत वर्ष 2018

भारत में किसानो कि आमदनी पर एक नजर

क्र	वर्ष	आमदनी	विकासदर
1	2002-03	25380/-	
2	2012-13	77112/-	20.38%
3	2018-19	122616/-	11.90%

स्रोत : राष्ट्रिय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा SAOA द्वारा जारी आंकड़े

उपरोक्त आकड़ो से हम समझ सकते है कि किसानो कि आमदनी कि स्तिथि बहुत दयनीय है|

किसान परिवार कि 2018 जून से जुलाई 2019 तक समस्त स्त्रोतों से प्रतिमाह 10218/- रूपये थी इसमें से आउट एक्सपेन्स निकाल ले तो 8337.9/- बचती है और प्रतिदिन किसान परिवार कि आमदनी 277/- रूपये है|

भरपूर खाद्य सामग्री उत्पादन, के मध्य भूख !

खाद्यान्न उत्पादन 1950 मे 51 मिलियन टन से 2021 तक 310 मिलियन टन हो गया खाद्यान्न मे देश तथाकथित रूप से आत्म निर्भर हो गया है, निम्नलिखित सारीणी से खाद्यान्न उत्पादन को समझा जा सकता है

क्र	खाद्य सामग्री	उत्पादन मिलियन 1950–2021	वृद्धि दर
1	खाद्यान्न	51 से 310	6 गुनी
3	फल एवं सब्जियां	31 से 320	10 गुनी
4	दुध	17 से 210	12 गुना (विश्व मे प्रथ
5	मछली	.75 से 14.1	18 गुना

विगत 75 वर्षो मे खाद्य सामग्री उत्पादन मे गुणात्मक वृद्धी प्राप्त हो हुई है। खद्यान्न मे आत्म निर्भरता का हल्ला मचाया गया व इस वर्ष गेहुं निर्यात किया गया। वर्ष 2021 मे भूख सूचकांक के 116 देशों के क्रम में हम 101वे क्रम पर पहुंच गये जब कि वर्ष 2020 में हम 94वे पायदान पर थे। भारतीय खाद्य निगम के गोदामों मे क्षमता से ज्यादा खाद्यान्न भण्डारित है जो गोदामों से बाहर खुले आसमान के नीचें पड़ा है बावजूद इसके गांवों मे खाद्य सामग्री की उपलब्धता घटती चली जा रही है शासन द्वारा 80 प्रतिशत लाभार्थियों को अनुदान पर वितरित किया जा रहा खाद्यान्न इस का

पक्का प्रमाण है कि गांव मे भूख व कुपोषण की क्या ? स्थिती है। विभिन्न सर्वेक्षण के आकड़े संकेत दे रहे है कि उच्च बाल मृत्यु दर, आधी मांओं और बच्चो मे कुपोषण एवं बच्चो मे बोनापन है। खाद्य उत्पादन परिवार के लिए न होकर बाजारू खपत के लिए हो गया।

खाद्यान्न उत्पादन मे सफलता, फिर भी :–

- भारत में 140 मिलियन लोगो रहतें है।
- विश्व भर के एक चौथाइ भूखे, जो ग्रामीणों का 50 प्रतिशत है, भारत से आते है।
- विश्व के 40 प्रतिशत कुपोषित के साथ भारत सकल घरेलु उत्पादन मे 9 प्रतिशत का नुकसान उठाता ह।
- ग्रामीण महिलाओं के साथ मजदूरी की दर व संपत्ती का स्वामित्व रखने मे भेदभाव किया जाता है।
- छोटे किसानो की कृषि एवं मजदूरी से आमदनी लगभग 6200 रूपये है इसलिए किसान अपने बच्चों को खेती मे नहीं लाना चाह रहे हैं।

भोजन का उत्पादन परिवार के उपभोग से, बाजार की ओर :–

पूर्व मे कृषि व पशुपालन किसानों व ग्रामीणों द्वारा अपने परिवार के उपभोग को ध्यान मे रखकर पैदावार लेने की योजना होती थी जिसमें अनाज, दलहन, तिलहन, चारा, रेशा, दुग्ध अण्डे, मांस व अन्य जिन्सें परिवार की पूर्ती के लिए पैदा की जाती थीं। अब कृषि व पशुपालन से प्राप्त उत्पादों को बाजार में बेचने के लिए तैयार किये जाते है जिससे किसान की उत्पादन की स्वयं के निर्णय की आज़ादी खत्म होकर बाजारू शक्तियों के हाथ में नियंत्रित हो गयी। परिणामस्वरूप भोजन अन्य कृषि उत्पाद बाजार मे बेचने का माल हो गए, कृषि उत्पादन के तीन प्रमुख स्थम्भ हैं

1. कृषि आदान (बीज, खाद, दवा व कृषि मशीनरी)
2. उत्पादन
3. विपणन और वितरण

तीनो प्रमुख स्तम्भं बढ़ते कम में, पूंजी के अधिग्रहण व नियंत्रण मे चले जा रहे हैं। भारतीय कृषि को हरित क्रांति ने खाद्यान्न उत्पादन से, नगदी फसलें कपास, गन्ना एवं उद्यानिकी उत्पादन लेने की ओर गतिशील किया गया, जो महानगरों व विश्व मे निर्यात किये जाने के लिये है। एक शहरी उपभोक्ता जब 100 रूपये भोजन सामग्री खरीदता है तब उसमे से किसान को सिर्फ 32 रूपये प्राप्त होते हैं, उत्पादन करने वाली इस कड़ी मे किसान को छोड़कर बिचौलिये भारी मुनाफा कमाते हैं। मार्क्सवादी अर्थशास्त्री कोतस्की ने पहली बार नोट किया कि बाजार ने किसानी को पूंजी के पक्ष मे लाने से, गांव का अतिरिक्त उत्पादन शहरी क्षेत्र में जाने पर बाजार में असमानता आएगी, जिसके प्रभावी हाने पर पूंजीवादी उत्पादन पद्वति घरेलु एवं बहुराष्ट्रीय निगमों के इशारे पर कृषि उत्पादों की किमत बाजार मे निरंतर गिराई जावेगी, परिणाम खेती व उद्योगों के गैर बराबरी के विनिमय का सामने आएगा। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था मे संकट पैदा करेगा जो और गहराता जायेगा। कृषि में इसी संकट के चलते भारत के किसान बैंकों व महाजनों का कर्जा न लोटाने की परिस्थती पैदा हो हुई, इसके चलते अभी तक 4 लाख छोटे व बटाईदार किसानों (अधिकांश कपास, मिर्ची एवं अन्य नगदी फसल उगानें वालों) ने आत्म हत्या कर ली जिसका सिलसिला अभी भी जारी है। बाजार का यह खेल पिछले तीन दशकों से अधिक बढ़ा है। साम्राज्यवादी संगठन, डब्लू टी ओ, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष (आइ एम एफ) विश्वबैंक एवं अन्य की नई उदार नीतियों के रास्ते पर चलते हुए हमारी सरकारों ने उर्वरक, बिजली, डीजल व कृषि अनुसंधान व प्रसार गतिविधियों पर किये जाने वाले खर्चो व अनुदान में भारी कटौती की गई। तथापि सरकार ने कुछ ओपचारिक योजनायें जैसे समर्थन मूल्य, के सी सी एवं फसल बीमा पर जो बहुतायत में धनी किसान और उद्योगपतियों के लाभ के लिये है खर्च व अनुदान में बढ़ोतरी की जा रही है। इस सदी के दूसरे दशक में किसानों ने, केन्द्र सरकार की नव उदारवादी व निगमीकरण को आगे बढ़ाने की नीतियों का संगठित विरोध विकसित किया, महाराष्ट्र के किसानों का लांग मार्च, राजस्थान, मध्य प्रदेश,

तामिलनाडू आदि के किसान आंदोलन । किसानों का वर्ष 2020 संसद मार्च, दिल्ली के आसपास घेरा डालना विशाल नाशिक पद यात्रा किसानों का वर्ष भर चलने वाला शांति प्रिय विरोध का एतिहासिक उदाहरण है।

समस्त स्रोतो से कृषकों की आमदनी :–

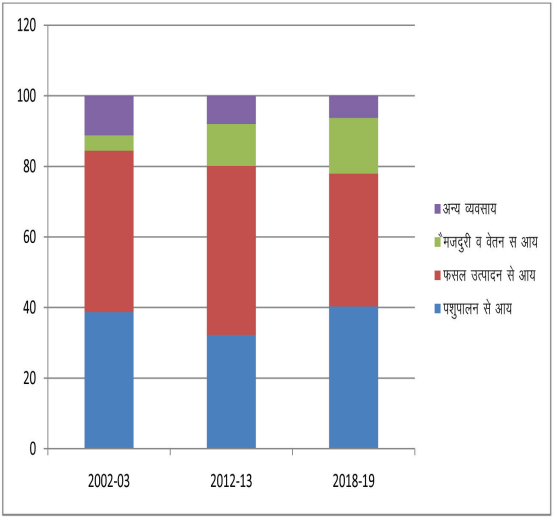

ये आंकड़े प्रदर्शित करते हैं कि फसल उत्पाद से किसान की औसत आमदनी सिर्फ 43 प्रतिशत है बाकी गैर कृषि श्रम एवं अन्य क्षेत्रों से आती है।

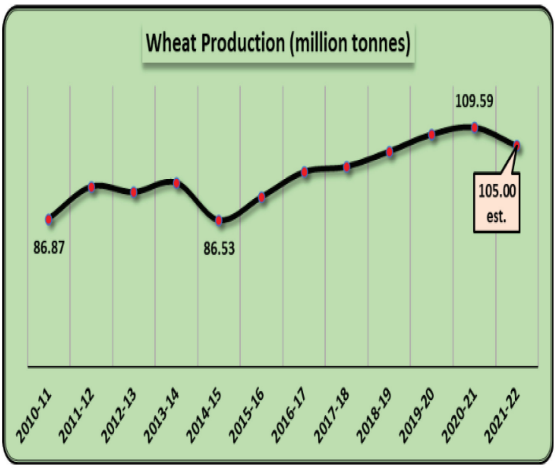

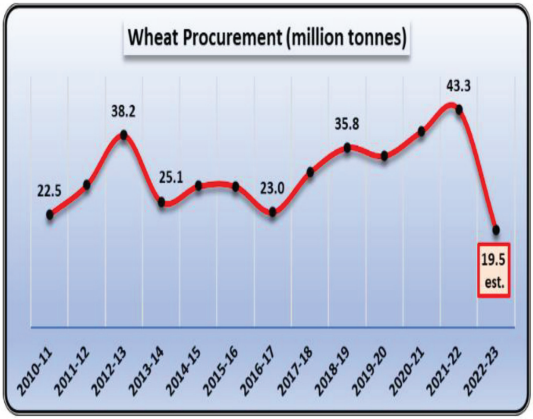

उपरोक्त ग्राफिक ये प्रदर्शित कर रहें है कि गेहूँ के कुल उत्पादन मे से सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक छोटे से हिस्से को ही खरीदा गया।

मल्टी नेशनल कोरपोरट (बहुराष्ट्रीय कम्पनियॉ) कृषि आदान के अलावा मूल्य श्रंखला में भी निवेश कर रही है। चिरपरिचित एम एन सी जैसे कि बालमार्ट, अमेजन आदि के अलावा देशी कारपोरेशन रिलायंस, अडानी एवं टाटा भी अपने तरह के सुपर मार्केटों के मूल्य श्रंखला के ब्रांण्ड है। इस तरह कृषि उत्पादो की सीधी खरीदी, उनका भण्डारण एवं विपणन (निर्यात सहित)कारपोरेट्स आदान से लेकर कृषि उत्पादन के विपणन मे छाये हुए है। वर्ष भर चलने वाला किसान आंदोलन गवाह है कि कृषि क्षेत्र पर एकाधिकार एवं पूर्ण नियंत्रण मे देने वाले कृषि कानून का विरोध करने वाला वर्ष भर चला किसान आंदोलन द्वारा कारपोरेट हितेषी तीनों कानूनो को रद्द करवाना इस बात का गवाह है कि सरकार खेती को पूरी तरह से कारपोरेट के नियंत्रण में देने की मंशा रखती है। अभी भी तरह तरह के छोटे छोटे सुधार कर इस ओर बढ़ रही है।

परिस्थितिकी संकट (ecological crisis) हरित क्रांति का दूसरा नकारात्मक प्रभाव है सघन खेती जो अधिक खाद की मात्रा, पानी एवं कीटनाशकों के प्रयोग से होती है, कृषि रसायनो द्वारा मृदा, फसलो के मित्र सूक्ष्मपादप, सूक्ष्मजीव, कीट, केचुआ एवं चिडियों के जीवन को खतरा पैदा हुआ है। जिसके चलते अनेक कृषी मित्र जीवों का अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। मनुष्यों मे भी प्रदूषण जनित बीमारियों का प्रसार हुआ है।

भूमि मे नाइट्रोजन, फासफोरस व कीटनाशकों की अधिक व संघटित मात्रा द्वारा प्राकृतिक मृदा उर्वरता का क्षरण, जो दलहनी पौधो की जड़ो व मृदा मे पाए जाने वाले सुक्ष्म जीवाणु जो पर्यावरण से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उनकी संख्याा लगातार मिट्टी में घटती जा रही है। पर्यावरण को क्षति को उदाहरण से समझ सकते हो कि मिट्टी में 100 किग्रा यूरिया खेत मे डाले तो सिर्फ 32 कि ग्रा का ही फसल द्वारा उपयोग किया जावेगा शेष यूरिया प्रदूषक के रूप मे जलाशयों मे मिल जावेगा। जो नाइट्रोजन फसलों द्वारा उपयोग नहीं की गई वह नाइट्रस आक्साइड मे परिवर्तित होकर वायुमण्डल मे पहुंच जावेगी जो ग्रीन हाउस की एक महत्वपूर्ण गैस है।

धान की खेती भू जल निकालकर करने से भू जल स्तर नीचे चला जा रहा है। वैज्ञानिकों द्वारा अनुमान लगया जा रहा है कि पंजाब प्रांत मे भू जल व जलवायु परिवर्तन से रेगिस्तान बन जावेगा। अधिक पानी वाली धान व गेहूं की फसलों के स्थान पर मक्का, दलहन (चना मटर मसूर मूंग उड़द लोबिआ अरहर आदि) व तिलहन फसल पद्वति ही एक मात्र विकल्प है। यह पंजाब के पारिस्थतिकी तंत्र की परंपरागत फसल पद्वति है, जो वहॉ की मृदा, स्थानीय वर्षा क्रम व

तापमान के वातावरण के अनुकूल है। असमय वर्षा, कुल वर्षा मे कमी, वर्षा का अल्प अवधि मे अधिक सघनता से व लगातार गिरना बाढ़ पैदा करती है। मानसून का बदलना व तापमान मे बढ़ोतरी से भयानक सूखा पड़ेगा। ठंडे क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने से सेव की फसल का क्षेत्र भी गर्मी भरा होगा नतीजा सेव की पैदावार विशेष रूप से प्रभावित होगी। जलवायु परिवर्तन से वर्ष 2050 तक फसल उत्पादन 30 प्रतिशत कम हाने का अनुमान है तब 80 मिलियन जनसंख्या कुपोषण की जोखिम पर होगी ये बात इण्टरनेशनल फूड पोलिसी रिसर्च संस्थान, प्रोडयूस्ड फॉर ग्लोबल कमीशन आन एडाप्सन के द्वारा बताई गई है।

पंजाब गिरते भू जल स्तर, पर्यावरणीय संकट के अलावा गम्भीर कुपोषण से भी जूझ रहा है क्योंकि दलहन व सब्जियों का उत्पादन एकल फसल पद्वति के कारण नहीं हो रहा है। गांव मे दलहन और साब्जीयों की हाने के कारण, ग्रामीणों की पंहुच से बाहर है। पंजाब ही नहीं जो क्षेत्र भी इस पद्वति मे आये है उन सब की स्थिती यही है राजस्थान, म.प्र., उ. प्र. आदि।

भोजन, अतिरिक्त पूंजी एवं मृदा पोषक तत्व का स्थानांतरण (जो स्थानीय पुनर चक्रण से दूर हो रहे है स्थानापन्न नही किये जा सकते), परिणाम स्वरूप गंभीर आर्थिक, पोषण एवं परिस्थितिकीय संकट पैदा हो रहा है। कार्ल मार्क्स ने अपनी इकोलाजीकल नोटबुक 1860 मे आगाह किया था, कि **शहरी क्षेत्र छोड़कर आयात करना स्थानीय उपभोग को खत्म करने से स्थानीय भोजन चक्र टूट जावेगा जिससे मृदा की गुणवत्ता व पोषक तत्वों का क्षरण होगा।** बाद में मार्क्सवादी पारिस्थितीकी वैज्ञानिक बेलोमी फोस्टर ने इसे मेटाबोलिक खाई कहा। पंजाब हरितक्रांति का केन्द्र बना खादयान्न का उच्चतम उत्पादन करने पर भी दुर्भाग्यवश गंभीर कुपोषणता से जूझ रहा है। हरित क्रांति के उद्भव से धान गेंहूँ की एकल फसल पद्वति ने परंपरागत फसलें, ज्वार, दलहन व तिलहन की कमी होती गयी जो वहॉ की जलवायु के अनुसार सटीक था। चावल की फसल बढने से अधिक सिंचाई की जरूरत बढ़ी नतीजा भू जल का अधिक दोहन एक अनुमान के अनुसार 1 किलो चावल पैदा करने के लिये 1410 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, 1000 लीटर पानी 1 किलो कपास पैदा करने के लिये लगता है। ये फसले स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिये विदेशी है और अधिक मात्रा में नाइट्रोजन देना, नये नये नाशक जीव, जो यहॉ के पारिस्थितीकी तंत्र मे नहीं थे, को नियंत्रित करने के लिये नाशकजीव नाशक (pesticides) का प्रचलन बढ़ा– पर्यावरणीय व स्वास्थ्य समस्याओं ने भी जन्म लिया। यही हाल म प्र का है, जहॉ धान–गेहूँ, सोयाबीन–गेंहूँ, बाजरा–गेहूं की फसल पद्वति अपनायी जा रही है। नतीजतन फसलों में फसल चक्र में दलहन, तिलहन व अन्य फसलों का रकबा घट रहा है। इसके कारण भूमीगत जल व मिट्टी के पोषक तत्वों का ह्रास हो रहा है। ग्रामीण व शहरी गरीबों के भोजन से दालें व तेल गायब होता जा रहा है नतीजा बच्चों व महिलाओं मे गंभीर कुपोषण बढ़ता जा रहा है।

कृषि अनुसंधान एवं प्रसार :–

कृषि उत्पादन व अत्पादकता बढ़ाने के लिये नई तकनीकी (प्रोद्योगिकी) का विकास अनिवार्य है। सन 1964 में पूर्व प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री अपने मंत्रीमण्डल को अन्तिम रूप दे रहे थे तब कोई भी कृषि मंत्रालय को नहीं चाह रहा था तब श्री सी. सुब्रमण्यम को कृषि मंत्री बनया गया । देश खादयान्न संकट से घिरा हुआ था। हमें 150 मिलियन टन खादयान्न की वर्ष भर की आवश्यकता थी जिसका 1/10 वां हिस्सा यू एस से पी एल 480 स्कीम के तहत अपमानजनक शर्तो स्वीकार कर आयात किया गया था। तब खादयान्न में आत्म निर्भरता हमारी उच्च प्राथमिकता तय हुई। अन्तर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परामर्श समूह (सी जी आई ए आर राकफेलर व फोर्ड फाउंडेशन की वित्तीय सहायता) के मार्गदर्शन मे भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेंहुँ विकास केन्द्र (cimmyt) मेक्सिको से उच्च उत्पादन गेंहूँ के बीज आयत किये जो डॉ. बोरलाग एवं उनके दल द्वारा विकसित किये गये थे। यहॉ से भारत मे हरित क्रांति की शुरूआत हुई। आयातित जननद्रव्य (germplasm)को अपनाकर देशज किस्म कल्याण, डॉ. डी एस अठवाल एवं सोना डॉ. एम एस स्वामीनाथन द्वारा अन्वेषित की गई। इन किस्मों द्वारा हरित क्रांति को फैलाने का कार्य आगे बढ़ाया गया। इसी समय अन्तर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (आई आर आर आई एवं सी जी आई ए आर का संस्थान) के वैज्ञानिकों द्वय पीटर जेनिंग एवं

हेनरी एम बीचेल द्वारा धान की अधिक उत्पादन देनेवाली किस्म, आई आर 8 विकसित की गई। भारत के अनुवांशिकी विदो के सक्रिय सहयोग से भारतीय कृषि की आधुनिक प्रोद्योगिकी को मजबूती से आगे बढ़ने की ताकत मिली। हरित क्रांति के सहारे खादयान्न उत्पादन में आत्म निर्भरता प्राप्त करने दो रणनीतिक विंदु थे ।

1. गेंहूँ व धान की उच्च उत्पादकता वाली किस्मे तैयार करना
2. समर्थन मूल्य देकर किसानों को उत्साहित करना

राष्ट्रीय बीज निगम (एन एस सी) भारतीय खादय निगम (एफ सी आई)राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एन डी डी बी)की स्थापना हुई। हरित क्रांति के तुरंत बाद श्वेत व नीली क्रांति जो हमे खादयान्न, दूध एवं मछली उत्पादन में आत्म निर्भरता की ओर ले गई को आधुनिक विज्ञान व प्रोद्योगिकी मे नवीन अनुसंधान की नीतियों के समावेश के माध्यम से ही संभव हुआ है।

फसलों की उत्पादकता वैश्विक तुलना में कम थी। कम उत्पादकता के लिए केवल विकसित कृषि प्रोद्योगिकी की अनुपलब्धता ही उत्तरदायी नहीं किन्तु अन्य विभिन्न कारक भी थे किसान समुदाय में असमानता, आधुनिक तकनीकी तक पंहुच, छोटी जोतों के लिये उचित तकनीकी का कमी, उगाने की कम अवधि, विविध कृषि जलवायु पास्थितिकीय एवं मौसम के चरम तेवर भी कम उत्पादकता के लिए जिम्मेदार हैं। देशभर के 50 राज्यों में कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना 100 कृषि अनुसंधान संस्थान एवं हर जिले मे कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किय जाने का कार्य किया गया।

सारिणी क्रमांक 01 के अनुसार आजादी के उपरान्त कृषि उत्पादन में बड़ी सफलता मिली यद्यपि भारत में फसल उत्पादन यू एस ए , यूरोप एवं चीन से कम है भारत का चावल उत्पादन 2191 किग्रा प्रति हेक्टर विश्व का 3026 किग्रा प्रति हेक्टर है, गेंहू का उत्पादन 2750 किग्रा प्रति हेक्टर विश्व का 3289 किग्रा प्रति हेक्टर है। भारत का किसान जमीन के उसी टुकड़े पर एक से अधिक फसलें उसी वर्ष मे उगा रहा है। प्रारम्भ से ही कृषि उनुसंधान एवं विकास की नीतियों में, छोटे किसानों की खेती करने की आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती रही है। हरित क्रांति का प्रारूप (मसौदा) बड़े किसानों की खेती की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये तैयार किया गया यह प्रोद्योगिकी पौधों के जीन पर आधारित, गेंहूं में नोरिन जी व चावल मे डी वू जीन को भारत के गेंहूं व चावल की स्थानीय प्रजातियों से मिलाया गया। भारत में उपलब्ध गेहूँ व चावल के जीन से मेक्सिकन टी एन 1 गेहूँ एवं आई आर आर आई फिलिपीन्स की चावल की किस्मों को मिलाया गया जिनसे देशज जीन युक्त किस्मों को तैयार किया गया, इनमें अधिक पैदावार देने की क्षमता विकसित हुई। जो नया जीन प्राप्त हुआ उनके पौधों की शरीर रचना बदली हुई आई उनमे अधिक पैदावार देने की योग्यता पायी गई थी। किन्तु इनसे अधिक उपज प्राप्त करना तभी संभव था जब खाद, सिंचाई एवं कीटनाशक अधिक मात्रा में प्रयोग किये जावे। सीजीआईएआर ने इस तकनीक को अन्तरराष्ट्रीय गेहुं विकास केन्द्र (सीएमएमवायटी) मेक्सिको व आई आर आर आई फिलीपीन्स के द्वारा पहली बार सम्पर्क मे लाया गया। अधिक उत्पादन देने वाली धान और गेहुं की नयी किस्मों के प्रचलन मे आने से, कृषि व्यवसाय करने वाले बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा अधिक मात्रा मे कृषि आदान जैसे खाद, कृषि रसायन, ट्रेक्टर व अन्य उपकरणों का उत्पादन किया जाने लगा तथा कृषि मे इनका प्रयोग लगातार बढ़ने लगा। इनका प्रयोग बढने से कृषि व्यवसाय मे लगी कंपनियों ने भारी लाभ कमाया। हरित क्रांति के जरियें पूंजीवादी साम्राज्यवाद को गांव में प्रवेश करने व भारतीय कृषि पर पकड़ बनाने मे सहायता मिली। दूसरी ओर उच्च आदान आधारित हरित क्रांति से साधन संपन्न किसानों ने अधिक पैदावार के साथ चांदी काटी। सीमांत व लघु किसानों पर नई तकनीकी अपनाने का दबाव बढ़ा वे अधिक कीमती कृषि आदान प्रयोग कर अधिक पैदावार प्राप्त करने के मोह मे फंस गए। उन्होने मंहगा कृषि आदान खरीदने के लिये कर्ज लेना शुरू किया जिसने धीरे धीरें उन्हें कंगाल बना दिया। यह नोट किया गया कि देश मे जितनी भोजन सामग्री पैदा होती है उसमें 70 प्रतिशत लघु सीमांत एवं बटाईदार किसानों द्वारा पैदा की जाती है। हरित क्रांति की अभूत पूर्व सफलता के समय से ही कृषि विज्ञान महत्वपूर्ण तरीके से अग्रगामी हुआ, कृषि अनुसंधान संस्थानों व संगठनो के प्रबंधन ने अन्तिम उपभोक्ता तक तकनीकी हस्तांतरण अनुसंधान व्यवस्था का विस्तार एवं कृषि प्रसार को गतिशीलता मिली। प्रोद्योगिकी मे मोलीक्यूलर बायोलोजी के आने से पशुपालन एवं उद्यानिकी फसलों के स्वरूप एवं अनुसंधान का विस्तार हुआ। सार्वजनिक क्षेत्र में अनुसंधान व विकास के महत्व को, अन्तर्राष्ट्रीय समझौतो जैसे आई पी एस

एवं पेटेंट, डब्ल्यू टी ओ, द्वारा नई बीज नीति (प्राइवेट फर्मों को स्वीकृति), बीज उद्योग व बाजार पर एकाधिकारवाद, कपास, मक्का व सब्जियों मे संकर व बांझ जीन लाने की शर्ते सार्वजनिक कृषि अनुसंधान संस्थानों पर थोपा जाने लगा।

यद्यपि छोटे किसानों की खाद्य उत्पादन बढ़ाने व हरित क्रांति संपन्न करने में बड़ी भूमिका थी वह कर्ज के जाल में फंस गया व कंगाल हो गया। इस कृषि अनुसंधान की रणनीति जो हरित क्रांति के लिये बनी से धनी किसान, अनाज व्यापारी, उद्योगपति जो तेल मिल, चावल मिल, दाल मिल, एवं दुग्ध उत्पाद बनाने वाले एवं विदेशी बहुराष्ट्रीय निगम, जो कृषि बीज, खाद व कीट नाशक का उत्पादन व व्यापार करते है ने भारी लाभ कमाया। सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसंधान संगठनो को पुनः अनिवार्य कर दिया गया कि, अनुसंधान में लगे वैज्ञानिकों को खाद्य फसलों के स्थान पर कपास, सोयाबीन, मक्का, एवं अन्य व्यपारिक फसलों की संकर किस्मों व खरपतवारनाशी सहन करने वाली जी एम फसलों, को जैव प्रोद्योगिकी मे शामिल किया जावे। कम सिंचाई फसल पद्वति, लघु धान्य, तिलहन व दलहन की, सूखा सहन करने वाली किस्मो की अनउपलब्धता पर कोई समुचित ठोस व्यवाारिक प्रोद्योगिकी विकसित नहीं हो पायी है। दुर्घटनावश यही फसले है जो एक स्तर तक छोटे किसानों को मौसम के उतार चढ़ाव व कीड़ो बीमारियों से सुरक्षित करती है। जिन्हें वह परंपरागत रूप से उगाता रहा है। फसलों की एसी किस्में जिनका उपयोग किसान आगे आने वाले समय में बोनी कर सके के स्थान पर सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसंधान संस्थानों को संकर बीज पैदा करने के लिये बाध्य किया जा रहा है जिससे छोटा किसान फसल बोने के लिये बोनी के हर सत्र में नया बीज बाजार से खरीदे। देशी बीज बाजार पर विदेशी बहुराष्ट्रीय निगमों जैसे मोनसेंटो, कार्गिल, बायर एवं इनकी भारतीय हिस्सेदार कम्पनियों का अधिकतम कब्जा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बीज उत्पादक संस्थानों को धीरे धीरे कमजोर कर छोटे किसानों को बीज वितरण की योजनाए कम करके बाजार से अधिक मंहगा बीज खरीदने के लिये बाध्य किया जा रहा है। इस तरह छोटे किसान को कृषि आदान क्रय करने के लिये बाजार को बड़ी राशि देनी पड़ रही है। विश्व व्यापार संगठन व अन्य साम्राज्यवादी संस्थानों के समझोतों में भारत सरकार के शामिल हानें से सरकारों द्वारा नई उदारवादी नीतियों को लागू करने के चलते विदेशी बीज निगमों के लिये भारत के ग्रामीण बाजारों के दरवाजे खोलने के साथ ही किसानों के वित्तीय संकट का आगाज हुआ।

टेबिल नं. 03 सकल घरेलू उत्पादन से कृषि बजट की राशि प्रतिशत में

क्रं	वर्ष	अनुसंधान	कृषि प्रसार
1	1983	0.25 प्रतिशत	0.10 प्रतिशत
2	2021	0.39 प्रतिशत	0.18 प्रतिशत

कृषि अनुसंधान एवं कृषि शिक्षा की विषय वस्तु में एक स्पष्ट स्थानापन्न (शिफ्ट) हुआ है, जो छोटे किसानो की आवश्यकताओं को प्राथमिक स्थान पर न रखकर, कृषि व्यापार मे लगी हुई बहुराष्ट्रीय कम्पनीयों, व समपन्न लोगों की बाजारू जरूरतों एवं बड़े और धनी किसानों के प्रबंधन पर आधारित है।

फसल विविधिता : देश में चावल गेंहु आधारित एकल फसल पद्वति जारी है, जो स्थानीय कृषि जलवायु, भूमि व सिंचाई के लिए उपलब्ध पानी व स्थानीय लोगों की, पोषण जरूरतों के अनुकुल नहीं है। जलवायु परिवर्तन व कुपोषण की चुनोतियों को झेलने के लिये हमे फसल पद्वति में दलहनी तिलहनी एवं लघु धान्य फसलों को फसल पद्वतियों में शामिल कर छोटे किसानों की नुकसान की जोखिम, जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव एवं स्थानीय आबादी के कुपोषण की समस्याओं का प्रभावी समाधान होगा। प्रमुख खाद्य फसलें गेहु धान (उत्तर मे गेहुं दक्षिण व पूर्व व पूर्वोत्तर मे धान) लघु धान्य व तिलहन दलहन फसले सतत चलने वाली फसल पद्वति होगी। फसल पद्वति का इस रूपान्तरण के लिये लघु धान्य व तिलहनी फसल पैदावारों को भी एम एस पी देनी होगी जो विपणन की लाभदायक आमदानी को आधार बनाकर दी जावेगी। दलहन, तिलहन सब्जी एवं फलों की खेती का कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के अनुसार उगाने का अंगीकरण कराने के लिये किसानो को अधिक मात्रा मे परिवर्तन के लाभ दिये जावें। यह परिवर्तन हमारे खाद्य फसल उत्पादन पद्वति से केवल पोषण मूल्य ही नहीं बढ़ायेगा बल्कि ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन व पानी के उपयोग को भी कम करेगा। इस कृषि विविधता पद्वति में एक अलग कृषि उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता होगी जो ग्रामीण युवकों को रोजगार

उपलब्ध करायेगें। एकल फसल पद्वति से सत्र दर सत्र लेने से मृदा उर्वरकता व पानी का ह्रास होता है जो भूमि के कुछ सालों मे अनुत्पादक हो जाने की संभावना को बढ़ाता है। एकल फसल पद्वति में उवरकों कीटनाशकों व सिंचाई की मात्रा अधिकतम उपयोग करने से मृदा की जैविक संरचना का संतुलन बिगड़ता है पौधों व मृदा के लिये लाभ दायक सूक्ष्म जगत के जीव जैसे केंचुआ, जीवाणु, कीट, फफूंदी एवं शैवालों का ह्रास हो जाता है तथा पर्यावरण प्रदूषित होता है।

एकल फसल पद्वति केवल परिस्थितिकी तंत्र को ही नुकसान नहीं पंहुचती, बल्कि ग्रामीण गरीबों के भोजन पर भी डाका डालकर उनकी थाली में से दाल तेल हरी सब्जियॉ फल व दूध गायब करती है। कुछ तिलहनी व सभी दलहनी फसलों के द्वारा वातावरण से नत्रजन लेकर पौधो व भूमि मे संचित करने की व्यवस्था होती है इसमें नत्रजनयुक्त उर्वरकों, व पानी की न्यूनतम जरूरत होती है। धान गेंहूँ की फसल के बाद यदि दलहनी फसल उगायें तो उर्वरकों की मात्रा मे कमी कर लाभ उठाया जा सकता है। बदल बदल कर फसल पैदा करने से नाशक जीवों की संख्या व तीव्रता कम होती है। भूमिगत व सतही जल के भण्डार का संरक्षण होगा जो हमें अन्य लाभ देगा।

कम अवधि की तिलहनी व दलहनी फसलों अलसी मूंग, उडद, धान के बाद खेती करने से छोटे किसानों को आमदनी व पोषण बढ़ाने मे मदद मिलेगी। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ मे भी सही दिशा होगी। कुछ वर्षो से म प्र में सरसों, गेहूं व आलू के बाद मूंग की फसल उगाने का प्रचलन शुरू हुआ है जो भूमिगत जल से सिंचाई कर से उगाई जा रही है, नाशक जीव कृषि रसायनों का प्रयोग किया जा रहा है बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के पेकेज के साथ पैदा की जा रही है जो चिंता पैदा करती है कि म प्र में कृषि परिस्थिकी तंत्र में खरीफ की फसलों जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का के साथ मूंग की खेती अन्तरवर्ती या मिश्रित फसल के रूप मे की जाती थी जो किसानों की अतिरिक्त आमदनी थी।

भारत की 1.30 अरब जनसंख्या के लिये प्राणी (दूध, अण्डा, मीट एवं मछली से प्राप्त) प्रोटीन मिलना असंभव होगा एसे मे हमारे लिए मछली पालन सबसे अच्छा साधन होगा। छोटे किसान के लिये मछली पालन एक अच्छी आमदनी व भोजन की व्यवस्था वाला व्यवसाय होगा। खेती की पद्वतियों मे मिश्रित खेती जिसमें पशुपालन एवं मधुमक्खी पालन को सम्मिलित कर बढ़ावा देने से हमारी भोजन व पोषण प्रक्रिया पुनरचक्रीयता के साथ सतत रहेगा। इसके अलावा किसान की आर्थिक आमदनी में इजाफा होता रहेगा।

सतत (टिकाउ)कृषि :–

आज कृषि दो बड़ी समस्याओं से जूझ रही है

1. छोटे किसानों का दरिद्रीकरण
2. प्राकृतिक कृषि पारिस्थितिकी तंत्र (natural agro ecological system)का अति क्षरण होना

विगत दो दशकों से कृषि उपज के मूल्यों मे औद्योगिक व अन्य उत्पादों की तुलना में भारी गिरावट से खर्चे और आमदनी में भारी असमानता पैदा हुई जिससे किसान आर्थिक संकट मे घीरता चला गया। प्रकृति के संसाधनों का कृषि एवं अन्य क्षेत्रों के अंसगत उपयोग (शोषण) के कारण जलवायु में परिवर्तन हो रहे है, जिसमें वैश्विक तापमान का बढ़ना कहीं बाढ कही सूखा मौसमों का कुपित रूप सामने आ रहा है। यथार्थ में आजादी के 75 वर्षो मे कृषि विकास का रास्ता पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली से निर्देशित किया जाता रहा, हम अभी भी उसी रास्ते पर आगे बढ़े जा रहे हैं। यही वह कारक है जो किसानों के समक्ष आर्थिक संकट के लिए जिम्मेवार है। कृषि संकट को हमेशा के लिए हल करना है तथा इस मुद्दे को कृषि विकास व किसानों की भलाई से जोड़कर देखना है तो सतत (टिकाउ) कृषि पद्वति पर कार्य करना होगा। भारत के गांवों के मुख्य दो सामाजिक मुद्दे भूख व कुपोषण को समझकर प्रकृति के सहयोग से ही सतत कृषि को अंगीकृत करना होगा। पचास प्रतिशत महिलायें व बच्चे कुपोषण से ग्रसित है जिससे 9 प्रतिशत जीडीपी का नुकसान हो रहा है एक अध्ययन से पता चला है कि बालवाड़ी, मध्यान्ह भोजन व महिला सुपोषण पर एक रूपया खर्च करें तो उस पर 16 रूपये से लेकर 40 रूपये जो स्वास्थ्य सामाजिक व आर्थिक विकास के रूप मे वापिस मिल जाता है।

कृषि में निवेश से 1 रूपये के 12 रूपये लोटते हैं, जो किसी भी अन्य आर्थिक क्षेत्र के मुकाबले सबसे ज्यादा हैं। विशेषज्ञो द्वारा ग्रामीण गरीबी दूर करने के लिये कृषि में निवेश अन्य आर्थिक क्षेत्रों की तुलना में दो से तीन गुना ज्यादा प्रभावी है।

समग्र कृषि (integrative agriculture): छोटे किसानों की पारिवारिक मूल भूत आवश्यकताओं की पूर्ती जिसमें भोजन (खाध्यान्न, तेल, दाल, दुध, सब्जी, फल, शहद, मांस आदि) चारा, ईधन, रेशा शामिल रहेंगे। एक संपूर्ण कृषि विकास की रणनीति को छोटे किसानों की आवश्यकताओं को केन्द्र मे रखकर बनाने की आवश्यकता है।

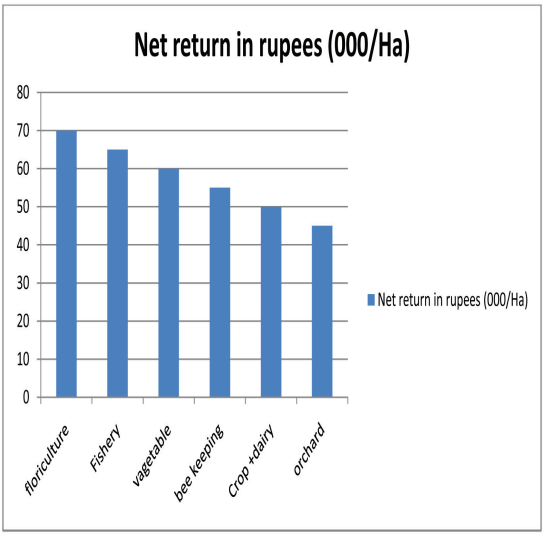

समग्र कृषि पद्वति से आर्थिक लाभ आईसीएआर वर्ष 2019

छोटे किसानों की फसल पैदा करने से 43 प्रतिशत से अधिक आमदनी व डेयरी, सूअरपालन, मधुमक्खी, सब्जी उत्पादन आमदनी में पूरक की भूमिका निभाते हैं। मोदी पुरम उ प्र व कोयम्बटूर तामिलनाडू में समग्र कृषि पद्वति में 12000 रूपये निवेश करने पर 79000 रूपये की अतिरिक्त आय हुई संक्षिप्त मे कृषि उत्पादन, किसान की आमदनी, एवं पर्यावरण के संकट पर कृषि नीति में पूर्ण परिवर्तन करना होगा जो प्रारम्भिक तौर पर छोटे किसान (जोत) आधारित उत्पादन पद्वति होगी इस विकल्प के चार स्तंभ होंगे।

1. भूमि सुधार
2- सतत कृषि (sustainable farming)
3. आय की सुरक्षा
4. भोजन व पोशण की सुरक्षा

तुरन्त भूमि सुधार, वर्तमान पूंजीवादी परिस्थितिकी विनाशक कृषि पद्वति के स्थान पर, पर्यावरण अनुकुल निरंतर गतिशील वहनींय कृषि पद्वति का अभ्यास तथा सहकारी उत्पादन पद्वति अपनाना होगा जो हमारे देश के कृषि संकट को दूर करने की क्षमता रखती है।